भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1424
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र
1424. श्री नवीन जिंदलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पाँच वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाए गए कुल क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) का ब्यौरा क्या है और अगले पाँच वर्षों के लिए लक्ष्यों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कितने लघु और सीमांत किसानों को विशेष सहायता या उच्चतर सब्सिडी प्रदान की गई है और उन्हें राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;
(ग) सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में मृदा आर्द्रता सेंसर, स्मार्ट सिंचाई नियंत्रक या सौर-आधारित ड्रिप प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने जल बचत बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और उर्वरक उपयोग को कम करने में सूक्ष्म सिंचाई के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्रित हस्तक्षेपों के लिए वर्षा आधारित और सूखा प्रवण क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले जिलों या ब्लॉकों की पहचान की है; और
(च) क्या मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से मनरेगा के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई कृषि गतिविधियों की सूची का विस्तार करने पर विचार कर रहा है ताकि ऐसी कृषि गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जा सके जिनके लिए किसान मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली मजदूरी का 50 प्रतिशत अपनी जेब से देने को तैयार हैं, ताकि न केवल कृषि गतिविधियों के लिए किसानों के लिए आवश्यक कार्यबल सुनिश्चित किया जा सके बल्कि लाभार्थियों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) : पिछले पाँच वर्षों में पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाए गए कुल क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध I पर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों तथा अन्य किसानों को क्रमशः इकाई लागत का 55% और 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुछ राज्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, योजना के अंतर्गत उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त, छोटे एवं सीमांत किसानों सहित अन्य किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करते हैं।

पीडीएमसी के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध II** पर दिया गया है। लाभार्थी किसानों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना से लाभान्वित होने वाले छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों का विवरण **अनुबंध III** पर दिया गया है।

(ग) : पीडीएमसी के परिचालन दिशानिर्देशों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में स्वचालन अपनाने हेतु किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है ताकि न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संचालन में आसानी हो और अधिक दक्षता प्राप्त हो।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने वाले किसानों को सौर पंपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है। पीडीएमसी योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीडीएमसी योजना को पीएम-कुसुम के साथ समामेलित करने पर भी जोर दिया गया है।

(घ) : नीति आयोग ने वर्ष 2020 में पीडीएमसी योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया। उक्त अध्ययन से पता चला कि यह योजना कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों की समग्र आय में वृद्धि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में प्रासंगिक है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30% से 70% तक सुधार हुआ और किसानों की आय में 10% से 69% तक की वृद्धि हुई।

(ङ) : पीडीएमसी योजना के परिचालन दिशा-निर्देश जल संरक्षण और सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत कवरेज प्राप्त करने हेतु जल की कमी वाले, जल संकटग्रस्त और भूजल की कमी वाले ब्लॉकों/जिलों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने पर ज़ोर देते हैं। पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए जल गहन/अधिक जल खपत वाली फसलों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाता है।

(च) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित रोजगार योजना है जिसका कार्यान्वयन नीचे से ऊपर की ओर होता है। शुरू किए जाने वाले कार्यों की योजना, प्राथमिकता और अनुमोदन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की मांग के अनुसार कार्य शुरू किए जाने हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं (i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी के रूप में कम से कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके; और (ii) गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना शामिल हैं।

मनरेगा के अंतर्गत 266 कार्य अनुमत हैं, जिनमें से 166 कार्य कृषि एवं संबद्ध कृषि कार्यों से संबंधित हैं। मनरेगा के अंतर्गत, लागत के संदर्भ में कम से कम 60% व्यय भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है।

अनुबंध- I

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	-	0.15	0.91	0.82	1.18	3.05
2	बिहार	0.01	0.02	0.04	0.06	0.05	0.18
3	छत्तीसगढ़	0.19	0.19	0.24	0.00	0.14	0.75
4	गोवा	0.0013	-	0.0001	0.0009	0.0018	0.0041
5	गुजरात	1.01	0.79	1.06	1.31	1.20	5.37
6	हरियाणा	0.12	0.43	0.37	0.34	0.19	1.45
7	हिमाचल प्रदेश	0.021	-	0.004	0.003	0.003	0.031
8	झारखंड	0.02	0.05	0.06	0.06	0.05	0.24
9	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.0001	-	-	0.0032	0.014
10	कर्नाटक	3.21	3.36	1.67	2.56	2.72	13.52
11	केरल	0.004	0.004	0.018	0.001	0.009	0.036
12	मध्य प्रदेश	0.18	0.70	0.47	0.53	0.30	2.17
13	महाराष्ट्र	0.50	1.13	1.68	0.89	0.99	5.20
14	ओडिशा	0.14	0.30	0.22	0.31	0.23	1.21
15	पंजाब	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.13
16	राजस्थान	0.69	0.78	1.91	2.20	1.32	6.90
17	तमिलनाडु	2.14	1.02	0.71	1.29	1.03	6.20
18	तेलंगाना	0.11	0.36	0.41	0.05	0.32	1.24
19	उत्तराखंड	0.04	0.04	0.07	0.01	0.02	0.18
20	उत्तर प्रदेश	0.58	0.34	0.65	0.62	1.02	3.21
21	पश्चिम बंगाल	0.15	0.14	0.25	0.14	0.14	0.82
22	अरुण प्रदेश	0.07	0.03	0.02	0.02	0.04	0.17
23	असम	0.07	0.13	0.08	0.06	0.06	0.39
24	मणिपुर	0.04	0.03	0.03	-	0.01	0.13
25	मेघालय	-	-	-	0.008	0.011	0.019
26	मिजोरम	0.005	0.004	0.008	0.005	0.008	0.031
27	नागालैंड	0.015	0.055	0.076	0.077	0.068	0.291
28	सिक्किम	0.030	0.029	0.028	0.042	0.036	0.165
29	त्रिपुरा	-	0.034	0.007	0.004	0.005	0.050
30	लद्दाख	-	-	0.00003	-	0.00020	0.00023
	कुल योग	9.37	10.15	11.02	11.41	11.19	53.15

अनुबंध- II

पिछले 5 वर्षों के दौरान पीडीएमसी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	100.00	180.00	222.82	105.75	337.85	946.42
2	बिहार		21.60	9.50	17.25	42.99	91.34
3	छत्तीसगढ़	45.00		34.50	41.07	44.00	164.57
4	गोवा			0.24	0.60	0.64	1.48
5	गुजरात	273.00	72.79	113.00	303.05	218.81	980.65
6	हरियाणा	98.00	57.60	78.00	57.20	68.90	359.7
7	हिमाचल प्रदेश	20.00	17.50		5.00	7.99	50.49
8	झारखंड	42.00	30.00	25.00	32.02	24.00	153.02
9	जम्मू और कश्मीर	10.00				7.50	17.5
10	कर्नाटक	400.00	500.00	187.64	360.00	390.00	1837.64
11	केरल	5.00			0.32	3.02	8.34
12	मध्य प्रदेश	125.00		50.00	106.31	130.00	411.31
13	महाराष्ट्र	300.00	200.00	334.00	92.50	483.29	1409.79
14	ओडिशा	27.00		16.25	118.51	24.80	186.56
15	पंजाब			3.75	6.00	5.50	15.25
16	राजस्थान	200.00	100.00	186.00	117.86	278.06	881.92
17	तमिलनाडु	400.00	116.00	159.50	314.96	294.00	1284.46
18	तेलंगाना			33.22		31.00	64.22
19	उत्तराखंड	50.00	30.00	66.75	13.67	26.06	186.48
20	उत्तर प्रदेश	200.00	150.00	149.25	133.49	173.87	806.61
21	पश्चिम बंगाल	61.00			30.00	15.00	106
22	अरुणाचल प्रदेश	25.00	40.00	10.00	11.13	24.00	110.13
23	असम		31.00	20.00	27.03	60.00	138.03
24	मणिपुर	27.50	60.00	15.00	19.60	12.25	134.35
25	मेघालय	15.00					15
26	मिजोरम	25.00	33.00	13.75	12.50	13.50	97.75
27	नागालैंड	30.00	55.00	50.00	44.92	43.00	222.92
28	सिक्किम	35.00	42.00	52.50	53.98	28.69	212.17
29	त्रिपुरा	13.20		4.76	4.06	4.50	26.52
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.11		0.11
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.25
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.50	0.50		1
33	मुख्यालय	35.49	59.63	65.44	74.01		234.57
	कुल	2562.19	1796.12	1901.37	2103.50	2793.37	11156.55

अनुबंध- III

पिछले 5 वर्षों के दौरान पीडीएमसी योजना के माध्यम से लाभान्वित छोटे एवं सीमांत किसानों सहित किसानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	-	12519	82846	75035	111363	281763
2	बिहार	1440	1480	3062	6614	2144	14740
3	छत्तीसगढ़	21470	20230	26215	-	16140	84055
4	गोवा	159	-	10	-	226	395
5	गुजरात	74414	57954	78264	96448	91958	399038
6	हरियाणा	5567	31497	29946	27842	16265	111117
7	हिमाचल प्रदेश	4117	-	2133	1722	845	8817
8	झारखंड	3332	8198	8960	10300	8096	38886
9	जम्मू और कश्मीर	1020	19	-	-	81	1120
10	कर्नाटक	326815	360699	159194	253703	269227	1369638
11	केरल	390	1114	1859	554	383	4300
12	मध्य प्रदेश	8846	44172	10819	22594	15607	102038
13	महाराष्ट्र	84319	179073	157793	23279	7951	452415
14	ओडिशा	16788	27712	12943	22786	16702	96931
15	पंजाब	397	2884	1886	2250	2189	9606
16	राजस्थान	46849	65693	125890	148510	87143	474085
17	तमिलनाडु	211653	100669	70304	132087	107082	621795
18	तेलंगाना	9575	31082	29051	4569	29161	103438
19	उत्तराखंड	3473	6684	10428	1520	3244	25349
20	उत्तर प्रदेश	43346	23310	46152	46647	82447	241902
21	पश्चिम बंगाल	28814	40282	60709	47242	32298	209345
22	अरुणाचल प्रदेश	808	3685	1657	1840	4009	11999
23	असम	6682	13854	6808	7291	9585	44220
24	मणिपुर	3308	4581	1659	1295	1476	12319
25	मेघालय	-	-	-	1027	1427	2454
26	मिजोरम	3009	1246	471	529	815	6070
27	नागालैंड	970	3233	2519	3121	3308	13151
28	सिक्किम	6543	7446	9045	10230	8895	42159
29	त्रिपुरा	-	3504	732	366	460	5062
30	लद्दाख	-	-	3	-	37	40
	कुल	914104	1052820	941358	949401	930564	4788247

****